अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 993(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा गठित, "पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग, (पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) को, उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रोसेसिंग फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(ख) लाइसेंस फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(ग) याचिका फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(घ) बैंक जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज आय की राशि।

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग-

(क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) यह अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 36/2015/फा. सं. 196/42/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक